अध्याय–तीन
राज्य आबकारी

3.1 कर संचालन

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभाग का अध्यक्ष होता है। विभाग को तीन अंचलों[1] में विभाजित किया गया है, जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण अंचल) उत्तरी अंचल एवं केन्द्रीय अंचल के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त सम्बंधित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 22 आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों की तैनाती आबकारी शुल्कों एवं सम्बंधित करों के उद्ग्रहण/ संग्रहण का अनुश्रवण तथा नियमन करने के लिए की जाती है।

3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2012–13 में आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस प्राप्तियों आदि से सम्बंधित सात इकाइयों के अभिलेखों की नमूना–जांच से ₹4.24 करोड़ से निहित 48 मामलों में आबकारी शुल्क/ लाइसेंस फीस/ ब्याज/ शास्ति की अवसूली/ अल्पवसूली एवं अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई जो नीचे **तालिका 3.1** के अंतर्गत आती है:

तालिका–3.1

(₹ करोड़)

क्रमांक	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1.	• आबकारी शुल्क की अवसूली/ कम वसूली	9	1.04
	• लाइसेंस फीस/ ब्याज/शास्ति की अवसूली/कम वसूली	21	0.86
2.	अन्य अनियमितताएं	18	2.34
योग		**48**	**4.24**

वर्ष के दौरान विभाग ने 51 मामलों में ₹4.50 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियां स्वीकार की जिन्हें विगत वर्षों में इंगित किया गया था। वर्ष 2012–13 के दौरान 27 मामलों में ₹3.08 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

₹3.57 करोड़ से अन्तर्ग्रस्त कुछ निदर्शी मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

[1] दक्षिण अंचल (शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर तथा स्पिति क्षेत्र), उत्तर अंचल (चम्बा, कांगडा तथा ऊना) तथा केन्द्रिय अंचल (बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल क्षेत्र तथा मण्डी)

3.3 राज्य आबकारी शुल्क तथा लाइसेंस फीस की वसूली न करना/ कम करना

परिचय

आसवनियों/ मद्यनिर्माणशालाओं, बंधक माल गोदामों, बोतलीकरण संयंत्रों द्वारा शराब के उत्पादन, विनिर्माण, अधिपत्य, भंडारण, परिवहन, क्रय तथा बिक्री पर उद्ग्रहण एवं शुल्क संग्रहण तथा शुल्कों का संचालन हिमाचल प्रदेश में संशोधनों सहित लागू, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के द्वारा किया जाता है। आबकारी तथा कराधान विभाग, आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस, ब्रांड फीस, आयात/ निर्यात फीस, समयोपरि फीस, ब्याज तथा शास्ति का संग्रहण करने हेतु उत्तरदायी हैं। आबकारी तथा कराधान आयुक्त-सह-वित्तीय आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के पास आबंटन अथवा नीलामी अथवा निजी संविदा अथवा निविदाएं आमन्त्रण के द्वारा अथवा बातचीत के द्वारा अथवा भाग्यों की लॉटरी के द्वारा अथवा नवीकरण के द्वारा अथवा किसी भी व्यवस्था जिसे वह राजस्व के हित में उचित समझें, के द्वारा सभी अथवा किसी भी लाइसेंस को बेचने का अधिकार सुरक्षित है। इस प्रयोजन हेतु विभाग प्रतिवर्ष लाइसेंस देने तथा लाइसेंस फीस निर्धारित करते हुए आबकारी आबंटन/ नवीकरण आदि के लिए संविदाएं तथा शर्तें निर्धारित करके आवश्यक आख्यापन करता है।

आबकारी तथा कराधान अधिकारी किन्नौर तथा ग्यारह सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों में से सात[2] के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच के द्वारा 2010-11 से 2011-12 की अवधि के लिए राज्य आबकारी शुल्क तथा लाइसेंस फीस की वसूली न करने/कम करने पर मई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य एक लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् है:

3.3.2 राज्य आबकारी शुल्क तथा लाइसेंस फीस का उद्ग्रहण न करना

3.3.2.1 न्यूनतम गारंटीड कोटा के कम उठाने पर अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण न करना

आबकारी घोषणा 2011-12 के परिच्छेद 4.3 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को प्रत्येक विक्रेता के लिए निर्धारित न्यूनतम गारंटीड कोटा उठाना अपेक्षित होगा। ऐसा न करने पर उसे न्यूनतम गारंटीड कोटे पर आधारित लाइसेंस फीस की अदायगी भी करनी होगी। इसके अतिरिक्त न्यूनतम गारंटीड कोटा के 80*प्रतिशत* से कम शराब की मात्रा को उठाने पर लाइसेंसधारी द्वारा शेष मात्रा पर ₹20 प्रति प्रूफ लीटर की अतिरिक्त फीस की अदायगी की जाएगी। सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त/आबकारी तथा कराधान अधिकारी प्रत्येक मास न्यूनतम गारंटीड कोटे की स्थिति की समीक्षा करेगा और यदि लाइसेंसधारी 15 मार्च तक न्यूनतम गारंटीड कोटे का 80 *प्रतिशत* उठाने में असमर्थ है, तो वह अतिरिक्त लाइसेंस फीस की वसूली करना प्रारम्भ करेगा।

लेखापरीक्षा ने मई 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य तीन सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के एम-2 रजिस्टरों[3] की नमूना जांच की तथा पाया कि 27 लाइसेंसधारियों[4] ने 5,62,090.002 प्रूफ लीटर के न्यूनतम गारंटीड कोटे के प्रति 3,98,720.405 प्रूफ लीटर शराब उठाई थी, जो 2011-12 के दौरान विभाग के द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम गारंटीड कोटे 80 *प्रतिशत* (4,49,672.002 प्रूफ लीटर) से कम थी। इसके फलस्वरूप 50,951.597 प्रूफ लीटर कम उठाई, जिसके लिए ₹10.19 लाख यद्यपि देय थे, किन्तु सम्बंधित सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों द्वारा नहीं मांगे गए। यह त्रुटि आबकारी तथा

---

2 बी0बी0एन0 स्थित बद्दी, कांगडा, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

3 मास के दौरान बिक्री के लिए जारी भारत में बनाई गई विदेशी शराब तथा देशी शराब सहित विदेशी स्पिरिट की मात्रा, देय अतिरिक्त लाइसेंस फीस की राशि तथा वसूल की गई अतिरिक्त लाइसेंस फीस की राशि दर्शाता हुआ रजिस्टर।

4 मण्डी: 13 लाइसेंसधारी, शिमला: सात लाइसेंसधारी तथा ऊना: सात लाइसेंसधारी

कराधान आयुक्त जिसे विवरणियों के साथ 'वार्षिक उठाई गई शराब तथा उपयोग की गई शराब के विवरण' प्रस्तुत किए गए थे, के भी ध्यान में नहीं आई।

इसे इंगित करने पर (मई 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य), संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त, शिमला ने सूचित किया (मई 2013) कि सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, ऊना के द्वारा सात लाइसेंसधारियों से ₹1.01 लाख की वसूली की जा चुकी थी, जिसे सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया था। वसूली की आगामी रिर्पोट प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

3.3.2.2 बंधपत्र के प्रावधान लागू न करने के कारण आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण न करना

हिमाचल प्रदेश बंधक मालगोदाम नियमावली, 1987 के नियम 21 से 23 के अनुसार एक मालगोदाम से (1) बंधपत्र के अंतर्गत तथा (2) राज्य में अथवा राज्य के बाहर शुल्क की अदायगी करके शराब उठाई जा सकती है। यदि बंधपत्र के अंतर्गत शराब जारी की जाती है तो लाइसेंसधारी एक विशेष स्थान अथवा गंतव्य पर स्पिरिट का वितरण करने के लिए फार्म एल-37 में एक बंधपत्र निष्पादित करेगा तथा बंधपत्र को विमुक्त करने से पूर्व ऐसा करने का एक प्रमाण फार्म एल-38 में प्रस्तुत करेगा। विभाग द्वारा नवम्बर 1965 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जब तक चूक के संदर्भ में सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता, तो यदि विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् उपयुक्त अवधि जो दो मास से अधिक न हो, यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो समाहर्ता प्रबन्धक को प्रेषित माल के संदर्भ में उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र में उल्लिखित राशि जमा करवाने के लिए कहेगा।

जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य तीन सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों[6] के एल-38 रजिस्टरों[5] की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि फार्म एल-37 में एक बंधपत्र का निष्पादन करने पर दो आसवनियों तथा एक मद्यनिर्माणशाला[7] के पक्ष में भारत में बनाई गई विदेशी शराब की 43,537.50 प्रूफ लीटर के निर्यात की मद्यनिर्माणशाला संस्वीकृतियां, बीयर की 5,62,353 बल्क लीटर की 76 संस्वीकृतियां, तथा अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल की 40,000 बल्क लीटर की दो संस्वीकृतियां प्रदान की गई। लाइसेंसधारी को विनिर्दिष्ट समय सीमा में विनिर्दिष्ट गंतव्य पर भारत में बनाई गई विदेशी शराब/ बीयर/ अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल के पहुंचने पर एल-38 फार्म में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित थे, जो जून 2011 तथा मई 2012 में कालातीत हो चुकी थी। उपार्जन प्रमाण पत्र प्राप्त करने से सम्बंधित समय सीमा यद्यपि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी एल-38 फार्म में प्रमाण पत्र प्रतीक्षित थे तथा मार्च 2013 तक बंधपत्र के प्रावधान लागू नहीं किए गए थे। नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समाहर्ता बंधपत्र में उल्लिखित आबकारी शुल्क की राशि का संग्रहण करने के लिए आबद्ध था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप ₹99.24 लाख की राशि के आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हो पाई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर (जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने सूचित किया कि मामलों की समीक्षा करने के बाद, अधिनियम/ नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली के संदर्भ में आगामी सूचना तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

---

6 मण्डी, सिरमौर तथा ऊना

5 एल-38 एक निर्धारित समय सीमा में निर्धारित गंतव्य पर भारत में बनाई गई विदेश शराब/बीयर पहुंचने से सम्बंधित प्रमाण का प्रमाणपत्र है।

7 मैसर्ज़ कालबर्ग ब्रूरी टोकिओ, गोवर्धन बॉटलिंग प्लांट, गलू तथा रेंजर ब्रूरी लिमिटेड मैहतपुर

3.3.2.3 परिशोधित स्Çट/ अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल तथा परिपक्व यवरस स्Çट ` का लेखांकन न करना

हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 में परमिट रजिस्टर (डी-13) तथा स्पिरिट प्राप्ति रजिस्टर डी-13ए का अनुरक्षण करने का प्रावधान है, जिसके माध्यम से विभाग स्प्रिट तथा शराब की प्राप्ति व निपटान पर विभिन्न नियंत्रण लगा सकता है।

लेखापरीक्षा ने दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों[8] के कार्यालयों में अनुरक्षित परमिट रजिस्टरों की स्प्रिट प्राप्ति रजिस्टरों (डी-13ए) के साथ प्रति जांच की (जनवरी तथा मार्च 2013 के मध्य) तथा पाया कि दो बंधक मालगोदामों[9], में 81,860 प्रूफ लीटर परिशोधित स्प्रिट/ अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल तथा परिपक्व यवरस स्प्रिट से अंतर्विष्ट **(परिशिष्ट-IV)** चार परमिटों का न तो परमिट रजिस्टर में निरस्त किया गया और न ही स्प्रिट प्राप्ति रजिस्टर में इसका लेखांकन ही किया गया। इस प्रकार ₹19.26 लाख आबकारी शुल्क से अंतर्ग्रस्त 81,860 प्रूफ लीटर स्प्रिट की वसूली नहीं की गई, जिसके लिए कोई भी कारण अभिलिखित नहीं थे।

इसे इंगित करने पर (जनवरी तथा मार्च 2013 के मध्य) सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने सूचित किया था कि मामले की समीक्षा करने के बाद अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली की आगामी सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

3.3.3 राज्य आबकारी शुल्क तथा लाइसेंस फीस की वसूली न करना

एल-13 बिक्री केन्द्र न खोलने के कारण निर्धारित फीस की वसूली न करना

2010-11 तथा 2011-12 वर्षों की आबकारी घोषणा के परिच्छेद 6.10 के अनुसार देसी शराब के संभरकों को निर्धारित लाइसेंस फीस की अदायगी करके प्रत्येक जिला में उन्हें आबंटित किए गए एल-13 बिक्री केन्द्र (थोक बिक्री केन्द्र) खोलने अपेक्षित थे। नियमों में आगे प्रावधान हे कि 2010-11 तथा 2011-12 वर्षों के एल-13 की वार्षिक लाइसेंस फीस क्रमश: ₹80,000 तथा ₹1,00,000 निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा ने दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों[10] के कार्यालयों के एल-13 के अभिलेखों की जुलाई 2012 तथा अक्तूबर 2012 के मध्य नमूना जांच की तथा पाया कि देशी शराब के विनिर्माण में जुटे तीन लाइसेंसधारियों[11] ने उनको आबंटित किए गए जिलों में एल-13 बिक्री केन्द्र नहीं खोले थे। अत: 2010-11 (दो बिक्री केन्द्र) तथा 2011-12 (सात बिक्री केन्द्र) वर्षों में बिक्री केन्द्र न खोलने के कारण लाइसेंसधारियों से ₹8.60 लाख की नियत फीस की वसूली की जानी थी। इसकी विभाग द्वारा न तो मांग की गई और न ही संभरकों द्वारा इसे जमा करवाया गया, जिसके फलस्वरूप ₹8.60 लाख की निर्धारित फीस की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित करने (जुलाई 2012 तथा अक्तूबर 2012 के मध्य) पर आबकारी तथा कराधान आयुक्त ने बताया (अगस्त 2013) कि दो लाइसेंसधारियों से ₹ 8.60 लाख की राशि में से ₹5.60 लाख की वसूली की जा चुकी थी तथा बी0बी0एन0 बद्दी के आबकारी तथा कराधान निरीक्षक प्रभारी को लाइसेंसधारी से

---

8 कांगडा तथा मण्डी

9 मैसर्ज़ बिंदल ऐसोसियेट, छैन्नी तथा गोबर्धन बॉटलिंग प्लांट, गलू

10 बी0बी0एन0 बद्दी तथा सिरमौर

11 बी0बी0एन0 बद्दी: दो लाइसेंसधारी तथा सिरमौर: एक लाइसेंसधारी

निर्धारित फीस की बकाया राशि जमा करवाने के लिए निदेश दिए गए थे। वसूली की आगामी सूचना तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

3.3.4 राज्य आबकारी शुल्क तथा लाइसेंस फीस की अल्प वसूली

3.3.4.1 बोतलीकरण लाइसेंस फीस की अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब आसवनी (पंजाब आसवनी नियमावली) नियमावली, 1932 के नियम 9.5 में यह व्यवस्था की गई है कि लाइसेंसधारी उनके द्वारा बोतलीकृत देशी शराब/भारत में बनाई गई विदेशी शराब की 750 मिलीलीटर की इकाइयों पर निधार्रित दरों पर लाइसेंस फीस की अदायगी करेगा। पंजाब आसवनी नियमावली के अंतर्गत जारी की गई मार्च 2011 की अधिसूचना में यह प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश में आसवनियों तथा संयंत्रों के लाइसेंसधारी हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर स्थित आसवनियों तथा बोतलीकरण संयंत्रों के भारत में बनाई गई विदेशी स्पिरिट के ब्रांडों के बोतलीकरण पर विशेष विक्रय-अधिकार की फीस की भी अदायगी करेंगे। लाइसेंसधारियों द्वारा इन फीसों की अदायगी त्रैमासिक रूप से प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात दिन के भीतर की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों[12] के अभिलेखों की जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य नमूना जांच की तथा पाया कि 2010-11 तथा 2011-12 के मध्य तीन लाइसेंसधारियों[13] से बोतलीकरण लाइसेंस फीस के संदर्भ में वसूल की जाने वाली ₹37.15 लाख की राशि के प्रति केवल ₹21.69 लाख की वसूली की गई थी। बकाया लाइसेंस फीस की वसूली करने के लिए विभाग द्वारा पग नहीं उठाए गए। इसके फलस्वरूप ₹15.46 लाख की लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

इसे जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य इंगित करने पर आबकारी तथा कराधान आयुक्त ने सूचित (अगस्त 2013) किया कि सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, सिरमौर के संदर्भ में ₹13.25 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी थी तथा बकाया राशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2013)।

3.3.4.2 शीरा से स्प्रिट का कम उत्पादन

हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 35 के साथ पठित नियम 37 के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार 0.373 क्विंटल शीरा से 15.391 प्रूफ लीटर देसी स्प्रिट उत्पादित किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर तथा दिसम्बर 2012 के मध्य शीरा प्राप्ति एवं निर्गम रजिस्टर तथा स्प्रिट निर्गम रजिस्टर से पाया कि ऊना की एक आसवनी[14] ने 2011-12 के दौरान परिशोधित स्पिरिट के विनिर्माण के लिए 52,095 क्विंटल शीरा प्रयुक्त किया। निर्धारित मानकों के अनुसार 21,49,582.16 प्रूफ लीटर परिशोधित स्प्रिट के उत्पाद न के प्रति वास्तविक उत्पादन 19,01,468 प्रूफ लीटर दर्शाया गया। इस प्रकार 2,48,114.16 प्रूफ लीटर परिशोधित स्प्रिट कम उत्पादित की गई, जिसके लिए कोई कारण अभिलिखित नहीं थे। इसके फलस्वरूप परिशोधित स्प्रिट के कम उत्पादन पर ₹24.81 लाख के राजस्व की हानि हुई।

---

12 सहायक आबकारी मण्डी तथा सिरमौर

13 मैसर्ज़ गोवर्धन बॉटलिंग प्लांट, गलू, हिल व्यू डिस्टिलरी, शम्भूवाल तथा तिलोकसन ब्रूरी एंड डिस्टिलरी, मंथापाल

14 मैसर्ज़ रेंजर ब्रूरी लि0. महेतपुर

इसे इंगित करने पर (दिसम्बर 2012) विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2013) कि मामले की समीक्षा करने के उपरान्त अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाऐगी। वसूली पर आगामी सूचना तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

3.3.5 लाइसेंस फीस/ अतिरिक्त लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना

आबकारी घोषणा 2011-12 के पैरा 4.4 (घ) के अनुसार प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए निर्धारित शराब के न्यूनतम गारंटीड कोटे पर आधारित लाइसेंस फीस की सभी मासिक किश्तों की प्रत्येक मास के अंतिम दिन तक अदायगी की जानी अपेक्षित है तथा मार्च मास की अंतिम किश्त की पूर्ण रूप से अदायगी दिनांक 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। शराब का परिवहन करने के लिए परिमिट/ पास प्राप्त करने से पूर्व देशी शराब तथा भारत में बनाई गई विदेशी शराब पर लाइसेंसधारी से 750 मिलीलीटर के प्रति क्वार्टर पर ₹ 2 अतिरिक्त लाइसेंस फीस प्रभार्य होगी। पैरा 4.5 (क) के अनुसार यदि लाइसेंसधारी निर्धारित तिथियों को लाइसेंस फीस की राशि की अदायगी करने में विफल रहता है तो एक मास तक 10 *प्रतिशत* वार्षिक की दर से तथा उसके बाद 18 *प्रतिशत* वार्षिक की दर से ब्याज का उद्ग्रहण किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने मई 2012 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों[15] के एम-2 रजिस्टरों की नमूना जांच की तथा पाया कि 251 लाइसेंसधारियों में से, 23 लाइसेंसधारियों ने वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 की, ₹11.51 करोड़ की लाइसेंस फीस विलंब से (अप्रैल 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य) जमा करवाई। यह विलंब तीन से 180 दिन का था। उन्हें विलंबित अदायगियों पर ₹9.19 लाख की ब्याज की अदायगी करनी अपेक्षित थी। तथापि सम्बंधित सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने इसका उद्ग्रहण नहीं किया। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक ब्याज की अदायगी नहीं हुई।

(ii) इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, शिमला के लाइसेंस फीस रजिस्टरों से पाया कि सब्जी मंडी बिक्री केन्द्र के एक लाइसेंसधारी ने वर्ष 2011-12 के लिए प्रभार्य ₹4.96 लाख की बजाय ₹3.09 लाख की अतिरिक्त लाइसेंस फीस की अदायगी की थी। इसके फलस्वरूप ₹1.87 लाख की राशि के सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई।

सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, ऊना ने मामले इंगित करने पर (मई 2012 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य) लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा बताया (जून 2013) कि लाइसेंसधारियों से ₹2.35 लाख की वसूली हो चुकी थी। सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, ऊना के संदर्भ में ब्याज की बकाया राशि की सूचना तथा सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, शिमला से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

3.3.5.1 बोतलीकरण लाइसेंस/ विशेषाधिकार फीस पर ब्याज की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.5 में निर्धारित है कि लाइसेंसधारी द्वारा बोतलीकृत देशी शराब/ भारत में बनाई गई विदेशी शराब की 750 मिलीलीटर की इकाइयों पर लाइसेंसधारी निर्धारित दरों पर लाइसेंस फीस की अदायगी करेगा। पंजाब आसवनी नियमावली के अंतर्गत जारी की गई मार्च, 2011 की अधिसूचना में आगे प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश के आसवनी तथा बोतलीकरण संयंत्रों के लाइसेंसधारी हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर स्थित आसवनी तथा बोतलीकरण संयंत्रों के भारत में बनाई गई विदेशी स्पिरिट ब्रांडों के बोतलीकरण पर विशेषाधिकार फीस की अदायगी करेंगे। लाइसेंसधारियों द्वारा इन फीसों की अदायगी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात दिन के भीतर

[15] शिमला: 18 मामले (2010-11=4, 2011-12=14) तथा ऊना: 5 मामले

त्रैमासिक रूप से की जाएगी। निर्धारित तिथि तक फीस की अदायगी करने में विफल रहने पर एक मास तक 12 *प्रतिशत* वार्षिक की दर पर ब्याज की अदायगी की जाएगी और यदि अदायगी में चूक एक मास से अधिक समय तक जारी रहती है तो विलंब की पूर्ण अवधि के लिए 18 *प्रतिशत* वार्षिक की दर पर ब्याज की अदायगी देय होगी।

लेखापरीक्षा ने आगे देसी शराब के विनिर्माण में जुटे हुए चार सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों[17] के डी-15ए रजिस्टर[16] की नमूना जांच की तथा पाया कि 2008-09 तथा 2011-12 के मध्य के वर्षों की ₹3.34 करोड़ की बोतलीकरण लाइसेंस फीस तथा विशेषाधिकार फीस 7 अप्रैल 2009 तथा 7 अप्रैल 2012 के मध्य देय थी, किन्तु यह 7 जुलाई 2009 तथा 8 अक्तूबर 2012 के मध्य विलंब से जमा करवाई गई। विलंब 10 तथा 616 दिन के मध्य का था, जिस पर ₹14.46 लाख[18] का ब्याज उद्ग्राह्य था, किन्तु विभाग द्वारा इसका उद्ग्रहण/वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार विभाग द्वारा कार्रवाई न करने के फलस्वरूप उपरोक्त सीमा तक सरकारी देयों की वसूली नहीं हो पाई।

इसे इंगित करने पर (जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य), सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, बी0बी0एन0 बद्दी ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2013) कि लाइसेंसधारी से ₹5.47 लाख की ब्याज की राशि की वसूली की जा चुकी थी। शेष सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने बताया कि मामलों का पुनरीक्षण करने के बाद अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली के संदर्भ में आगामी सूचना तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

3.3.6 आसवनी/ बंधक मालगोदामों में तैनात आबकारी विभाग के स्टाफ के वेतनों की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब आसवनी नियमावली के नियम 9.13 तथा 9.16 के अनुसार लाइसेंसधारी अपनी आसवनी में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा कार्य पर आबकारी विभाग द्वारा निगरानी रखने के लिए सरकारी आबकारी स्टाफ की तैनाती करने के लिए सहमत होगा। यदि आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो, तो लाइसेंसधारी आसवनी में तैनात आबकारी स्टाफ के वेतनों के संदर्भ में मांगी गई राशि सरकारी खजाने में जमा कराएगा, किन्तु वह स्टाफ के किसी कर्मचारी को सीधे अदायगी नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा ने जून 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य पांच सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों[19] के कार्यालयों के अभिलेखों के साथ एक आसवनी, तीन मद्यनिर्माणशालाओं तथा 10 बंधक मालगोदामों के अभिलेखों के साथ प्रति जांच की तथा पाया कि लाइसेंसधारियों ने मद्यनिर्माणशालाओं/बंधक मालगोदामों में तैनात आबकारी स्टाफ की 2008-09 तथा 2011-12 के मध्य की अवधियों से सम्बंधित वेतनों की ₹1.53 करोड़ की राशि की अदायगी नहीं की गई थी, यद्यपि आहरण तथा संवितरण अधिकारी होने के नाते सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों को इन तैनातियों का पता था। उन्होंने मांग उठाने तथा सरकारी देयों का संग्रहण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार लाइसेंसधारियों से आबकारी स्टाफ के वेतनों की मांग न करने से सरकार ₹1.53 करोड़ की वसूली से सम्बंधित देयों से वंचित रही, जिसका विवरण **परिशिष्ट-V** में दिया गया है।

---

17 बी0बी0एन0 बद्दी, कांगडा, मण्डी तथा ऊना

16 रजिस्टर जिसमें बोतलीकृत देसी शराब/ भारत में बनाई गई विदेशी शराब की 750 मिलीलीटर की इकइयों पर निर्धारित दरों पर लाइसेंस फीस के विवरण का अनुरक्षण किया जाता है।

18 बोतलीकरण लाइसेंस फीस: ₹9.20 लाख तथा विशेषाधिकार फीस: ₹5.26 लाख

19 बी0बी0एन0 बद्दी, कांगडा, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

जून 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य इसे इंगित करने पर सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, बी0बी0एन0 बद्दी ने बताया (फरवरी 2013) कि सभी सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारियों आसवनियों के प्रभारी आबकारी तथा कराधान निरीक्षकों को सम्बंधित लाइसेंसधारियों से आसवनी/ बंधक मालगोदाम में तैनात आबकारी स्टाफ के वेतनों की राशियों की वसूलियां करने तथा इन्हें सरकारी खजाने में जमा करवाने से सम्बंधित निदेश जारी किए गए थे। शेष सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने सूचित किया कि मामलों का पुनरीक्षण करने के बाद अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली से सम्बंधित आगामी सूचना तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

3.3.7 आबकारी शुल्क के बकायों की वसूली न करना

आबकारी विभाग अपने विभाग से सम्बंधित चूककर्ता लाइसेंसधारियों से अपने देयों की वसूली करने के लिए उत्तरदायी है। यदि विभाग के पास उपलब्ध साधनों से सरकारी देयों की वसूली नहीं की जा सकती हो तो ऐसे बकायों को हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953 (1954 की अधिनियम संख्या 6) के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में प्रमाणित किया जाता है, जिनका संचालन राज्य के सम्बंधित जिलों के समाहर्ताओं द्वारा किया जाता है। दिसम्बर 1990 तथा जनवरी 1993 में समाहर्ताओं की शक्तियों का प्रत्यायोजन आबकारी तथा कराधान विभाग के विभागीय अधिकारियों को किया गया। राज्य के अथवा राज्य के बाहर के अन्य जिलों से सम्बन्धित भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली के इन मामलों को सम्बंधित जिला के समाहर्ताओं (आबकारी) अथवा उस राज्य के सम्बंधित जिला के समाहर्ता को संदर्भित किया जाता है।

विभाग द्वारा संभरित की गई सूचना (मई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से इंगित हुआ कि ₹5.62 करोड़ से अंतर्ग्रस्त छः सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों[20] से सम्बंधित 1977-78 से 2011-12 के वर्षों के बकाया राजस्व के 34 मामलों में लाइसेंसधारियों से वसूली अपेक्षित थी, जिसमें से 23 मामलों मे ₹4.68 करोड़ मार्च 2012 तक भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली के लिए लंबित थे तथा ₹94.26 लाख की राशि से अंतर्ग्रस्त अन्य 11 मामले विभागीय प्राधिकारियों के पास कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं पर थे। 20 से 37 वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग ने समयबद्ध ढंग से लंबित बकायों की वसूली हेतु कोई पद्धति विकसित नहीं की थी।

इसे इंगित करने (मई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) पर सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, बी0बी0एन0 बद्दी ने बताया (फरवरी 2013) कि ₹4.00 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी थी। शेष सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने सूचित किया था कि मामलों का पुनरीक्षण करने के बाद अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली से सम्बंधित आगामी सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2013)।

उपर्युक्त तथ्यों को सरकार को 4 जुलाई 2013 को प्रेषित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2013)।

निष्कर्ष

आबकारी प्राप्ति राज्य सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उपर्युक्त लेखापरीक्षा अभ्युक्तिओं से प्रतीत होता है कि विभाग का लाइसेंसधारियों से वैद्य देयों की मांग करने के लिए आसवनियों/ मद्यनिर्माणशालाओं/ बंधक मालगोदामों की कार्यप्रणाली पर समुचित नियंत्रण नहीं था। आबकारी राजस्व

[20] बी0बी0एन0 बद्दी, कांगडा, मण्डी, शिमला, सोलन तथा ऊना

का संग्रहण विशेष बंधपत्र पर प्रेषित माल को नियमित करने के लिए अनुश्रवण तंत्र प्रभावशाली नहीं था तथा इसका उपयुक्त सुदृढ़ीकरण किया जाना अपेक्षित है।